## *अध्याय 6

## अपराधों का निवारण और पता लगाना

**50. प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति--** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी या किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी के जो उन-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है तो वह--

(क) ऐसे व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में किसी बन्दी प्राणी, वन्यप्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप याउसका भाग या व्युत्पन्नी अथवा इस अधिनियम केअधीन दी गई या उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी यान या जलयान की तलाशी लेने या जांच करने के लिए उसे रोक सकेगा या ऐसे व्यक्ति को अधिभाग में किसी परिसर, भूमि, यान, या जलयान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा उसके कब्जे में सामान या अन्य वस्तुओं को खोल सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में के किसी बंदी प्राणी, वन्यप्राणी, प्राणी-वस्तु,मांस, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या किसी विनिर्दिष्ट पादप या उयके भाग या, वस्तुपन्नी को जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फांसे, औजार, यान, जलयान या आयुध के सहित अभिगृहीत कर सकेगा, और जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा और गिरफ्तार कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगाः

परन्तु जहां कोई मछुआरा, जो किसी अभ्यारण्स या राष्ट्रीय या राष्ट्रीय उपवन दस किलोमीटर के भीतर निवास करता है, किसी ऐसी नौका से, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग के लिए नहीं किया जाता है, उस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन के राज्य क्षेत्रीय सागरखंड में अनवधानता से प्रवेश करता है, वहां ऐसी नौका पर मछली पकड़ने के टेकल या जाल को अभिगृहीत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह कोई ऐसा कार्य करते देखता है जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, इस प्रयोजन से रोक सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र पेश करे और यदि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र पेश करने में असफल रहता है तो वह बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा तब तक कि वह अपना नाम औरपता नहीं दे देता है, और उसको गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का अन्यथा यह समाधान नहीं करा देता है कि वह किसी समन या अन्य कार्यवाहियों का जो उसके विरुद्ध की जाएं सम्यक रुप से पालन करेगा।

(3क) ऐसा अधिकारी, जो वन्यजीव संरक्षण सहायक निदेशक या सहायक वनाल की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी बंदी प्राणी या वन्य प्राणी को अभिगृहित किया है, किसी व्यक्ति द्वारा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता है, जिसके कारण ऐसा अभिग्रहण किया गया है, ऐसे प्राणी के, जब कभी ऐसी अपेक्षा हो, पेश किए जाने संबंधी बंधपत्र के निष्पादन पर, उसे अभिरक्षा के लिए दे सकेगा।

(4) पूर्वोक्त शक्ति के अधीन निरुद्ध किया गया कोई व्यक्ति या अभिगृहीत की गई कोई वस्तुएं, विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए मुख्य वन्यजीव संरक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त ले जाई जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति जो युक्तियुक्त हेतुक के बिना कोई ऐसी वस्तु पेश करने में असफल रहता है जिसे इस धारा के अधीन पेश करने के लिए वह अपेक्षित है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(6) जहां इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई मांस, अपरिष्कृत ट्रफी, विनिर्दिष्ट पौधा या उसको कोई भाग या व्युत्पन्न अभिगृहीत किया जाता है वहां वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजपत्रित पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी अथवा मुख्य वन्यजीव संरक्षकया प्राधिकृत अधिकारी उनके व्ययन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जो विहित की जाए।

(7) जब कभी किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम क अधीन अपराध के निवारण या पता लगाने में या ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर इस अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है, पकड़ने में या उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अभिग्रहण के लिए सहायता करने के लिए अनुरोध करे तब ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसी सहायता करें।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अवधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होगी -

(क) तलाशी वारंट जारी करना;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना;

(ग) दस्तावेजों और तात्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और उनके पेश किए जाने विवश करना; और

(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना।

***51. शास्तियां --** (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्याय 5क और धारा 38ञ को छोड़कर या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी ई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्तें में से किसी का भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा, और दोषसिद्ध पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु यदि किया गया अपराध अनुसूची 1 में अनुसूचसी 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है या यदि अपराध किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित या किसी अभ्यारण्स या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है तो ऐसा अपराध ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगीः

परन्तु यह और कि इस उपधारा में वर्णित पकृति के किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(1क) कोईव्यक्ति, जो अध्याय 5क के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 38ञ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डनीय होगाः

परन्तु किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(1ग) कोई व्यक्ति जो व्याघ्र आरक्षिति के आन्तरिक क्षेत्र के संबंध में अपराध केगा या जहां अपराध किसी व्याघ्र आरक्षिति में आचोट या व्याघ्र आरक्षिति की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है वहां ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धी पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी, जो पास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से

जिसकी अवधि सातवर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना से भी जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पाच लाख रुपए तक काह हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1घ) जो कोई उपधारा (1ग) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय हेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सि0दोष ठहराया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय आदेश देसकेगा कि कोई बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी-वस्तु ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयाजित हाथीदांत या ऐसे हाथीदांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी जिसके बारे में अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति, द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसे रद्दकरण या ऐसा समपहरण किसी ऐसे अन्य अण्ड के अतिरिक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए दिया जाए।

(4) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय निर्देश देसकेगा कि वह अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जो आयुध अधिनियम, 1956 (1956 का 54) के अधीन ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए दी गई है जिससे इस अधिनियम के विरुद्ध अधीन दोषसिद्ध की तारीख से पांच वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात, किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं हेगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।

**51क. जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तो का लागू होना--** जहां कोई व्यक्ति, जो अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 से संबंधित अपराध या राष्ट्रीय उपवन या वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के अंदर आखेट से संबंधित कोई अपराध या ऐसे उपवनों और अभ्यारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही सिद्धदोष ठहराया गया था, तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक --

(क) लोक अभियोजन को निर्मुक्ति का विरोध करने का अवसर नहीं दिया हो, और

(ख) जहां लो अभियोजन आवेदन का विरोध करता है और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं किक वह ऐसे अपराध नहीं हैं और यह कि जमानत पर छोड़े जाने पर उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किए जाने की संभावना हैं।

**52. प्रयत्न और दुष्प्रेरण--** जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने याथास्थिति, उस उपबंध या नियम या आदेश का उल्लंघन किया हैं।

**53. सदोष अभिग्रहण के लिए दण्ड--** यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, धारा 50 में वर्णित कारणों से अभिगृहीत करने के बहाने से, उसे तंग करने के लिए और अनावश्यक रुप से, अभिगृहीत करेगा तो वह दोषसिद्धि पर कावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, जो पांस सौ रुपए तक का हो सकेगा,या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**54. अपराधों का शमन करने की शक्ति--** (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को जो वन्यजीव परिरक्षण सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो, और राज्य सरकार के मामले में, इसी प्रकार की रीति से मुख्य वन जीव संरक्षक को या किसी अन्य अधिकारी को जो उपवनपाल से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से इसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह है कि

उसने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है, उस अपराध के शमन के रुप में जिसकी बाबत यह संदेह है कि वह ऐसे व्यक्ति ने किया है, धन की राशि के संदाय को स्वीकार करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

(2) ऐसे अधिकारी को धन की ऐसी राशि का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) किसी अपराध का शमन करने वाला अधिकारी, अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के रद्दकरण का आदेश कर सकेगा या यदि ऐसा करने के लिए वह स्वयं सशक्त नहीं है तो ऐसा करना के लिए सशक्त अधिकारी से ऐसा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को रद्द करने के लिए अनुरोध कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधी, स्वीकार की गई या स्वीकार किए जाने के लिए करार पाई गई धनराशि, किसी भी दशा में, पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परन्तु किसी ऐसे अपराध का, जिसके लिए धारा 51 में कारावास की न्यूनतम अवधि विहित की गई है, शमन नहीं किया जाएगा।

**55. अपराधों का संज्ञान--** कोई भी न्यायालय के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा--

(क) वन्यजीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

या

(कक) अध्याय 4क के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों में सदस्य-सचिव, केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण।

(कख) सदस्य-सचिव, व्ययाघ्र संरक्षण प्राधिकरण; या

(कग) संबंधित व्याघ्र आरक्षिति का निदेशक; या

(ख) मुख्य वन्यजीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाएं इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(खख) धारा 38ञ के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में चिडियाघर का भारसाधक अधिकारी; या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसने विहित रीति से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त रुप से प्राधिकृत अधिकरी को अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की अन्यून साठ दिन की सूचना दी है।

**56. अन्य विधियों के प्रवर्तन का वर्जित न होना--** इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करता है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित होने से या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे दण्ड या शास्ति के, जो इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड या शास्ति से अधिक है, दायित्वाधीन होने से निवारित करने वाली नहीं समझी जागी:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जएगा।

**57. कतिपय मामलों में उपधारा का किया जाना--** जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध क लिए किसी अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है है कि सी व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी है, वहां जब तक के तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है और जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे बन्दी प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी का विधि विरुद्ध कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है।

**58. कम्पनियों द्वारा अपराध --**(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाऐंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराण उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गय है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनाकुकूलता से किया गया है या अपराण का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझ जाएगी और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंउित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण --** इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) **"कम्पनी"** से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और ''भागीदार'' अभिप्रेत है।

## अध्याय 6 क

## अवैध आखेटन और व्यापार से व्युत्पन्न संपत्ति का समपहरण

**58 क. लागू होना --** इस अध्याय के उपबंध केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू होंगे, अर्थात:-

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन इंडनीय किसी अपराध के लिए तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारवास से सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त;

(ग) किसी ऐसी संपत्ति का जो खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पहले किसी समय धारित रही हो, धारक (जिसे इसमें इसके पश्चात वर्तमान धारक कहा गया है); जब तक कि, यथास्थिति, वर्तमान धारक या ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसे व्यक्ति के पश्चात और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी संपत्ति धारण की हो, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सदभावित रुप से अन्तरिती नहीं है या था।

**58 ख. परिभाषाएं--** इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेषित न हो -

(क) **"अपील अधिकरण"** से धारा 58 ढ के अधीन गठित समपहृत सम्पत्ति के अपील अधिकरण अभिप्रेत हैं;

(ख) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी संपत्ति इस अध्याय के अधीन समपहृत की जा सकती है, ''सहयुक्त'' के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रबंध या उसके हिसाब-किताब का रखरखाव कर रहा था या कर रहा है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ के अन्तर्गत व्यक्तियों का कोई संगम, व्यष्टियों का निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी, जिसका ऐसा व्यक्ति, सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;

(iii) कोई व्यष्टि, जो उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संगम, व्यष्टियों के निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का किसी समय सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है, जब ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;

(iv) कोई व्यक्ति, जो उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संगम, व्याष्टियों के निकाय, था या कर रहा है;

(v) किसी न्यास का न्यासी, जहां --

(i) ऐसे व्यक्ति, द्वारा न्यास सृजित किया गया है; या

(ii) उस तारीख को जिसको अभिदाय किया जाता है, न्यास राशियों में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई आस्तियों का मूल्य भी सम्मिलित है) जो इस तारीख को न्यास की आस्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से कम न हो;

(vi) जहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति कोई संपत्तियां उसकी ओर से किस अन्य व्यक्ति को पास धारित है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति;

(ग) **"सक्षम प्राधिकारी"** से धारा 58 घ के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **"दिपाया जाना"** से संपत्ति के स्वरुप, स्त्रोत, व्ययन, संचलन या स्वामित्व को छिपाना या बदलना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक पारेषण द्वारा या किन्हीं अन्य साधनों के ऐसी संपत्ति का संचलन या संपरिवर्तन करना भी है;

(ड) **"रोक लगाने"** से धारा 58 च के अधीन जारी ओदश द्वारा संपत्ति क अन्तरण, संपरिवर्तन, व्ययन या संचलन को अस्थायी तौर पर प्रतिष्द्धि करना अभिप्रेत है;

(च) **"पहचान करना"** में सम्मिलित है इस बात का सबूत स्थापित करना कि वह संपत्ति वन्य जीव और उसके उत्पादों के अवैध शिकार और व्यापार से व्युत्पन्न थी या उसमें प्रयोग की गई थी;

(छ) ऐसे व्यक्ति जिसे यह अध्याय लागू होता है, के संबंध में, **"अवैध रुप से अर्जित संपत्ति"** से अभिप्रेत हैं --

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा, अवैध आखेट और वन्यजीव और उसके उत्पादों तथा उनके व्युत्पन्नों के व्यापार से व्युत्पन्न या उनसे अभिप्राप्त या उनके कारण हुई किसी आय, आस्तियों से या उनक माध्यम से पूर्णतः अर्जित कोई संपत्ति;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी प्रतिफल के लिए या किन्ही साधनों द्वारा अर्जित कोई संपत्ति जो पूर्णतः या भागतः उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति या ऐसी संपत्ति से आय अथवा उपार्जनों से संबंधित हो,

और इसमें सम्मिलित हैं --

(अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई संपत्ति जो उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के संबंध में इस खण्ड के अधीन अवैध रुप से अर्जित संपत्ति होती यदि उक्त पूर्ववर्ती धारक उस धारण करना बन्द न कर देता, जब तक कि ऐसे व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने उक्त पूर्ववर्ती धारक के पश्चात किसी समय संपत्ति धारित न की हो या जहां दो या अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हों, वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अंतिम धारक सदभावपूर्वक प्रयास प्रतिफल के लिए अंतरिती है या था;

(आ) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए या किन्ही ऐसे साधनों द्वारा जो पूर्णतः या भागतः मद (क) के अधीन आने वाली अन्य किसी संपत्ति से या उससे आय या उपार्जनों से अर्जित कोई संपत्ति;

(ज) **"संपत्ति"** से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां, चहे मूर्त या या अमूर्त हो, स्थावर या जंगम हो, साकार या निराकार हो और वन्यजीव तथा उसके उत्पादों के अवैध आखेट से व्युत्पन्न ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों में हित या उस पर हक के साक्षी विलेख और लिखत;

(झा) **"संबंधी"** से अभिप्रेत हैं--

(1) व्यक्ति का पति या पत्नी;

(2) व्यक्ति का भाई या बहन;

(3) व्यक्ति का पति या पत्नी का भाई या बहन;

(4) व्यक्ति का कोई वंशागत पूर्वपुरुष या वंशागत वंशज;

(5) व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई वंशागत पूर्वपुरुष या वंशगत वंशज;

(6) उपखण्ड (2), उपखण्ड (3), उपखण्ड (4) या उपखण्ड (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी;

(7) उपखण्ड (2) या उपखण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का वंशागत वंशज;

(ञ) **"पता लगाने"** से अभिप्रेत है संपत्ति के स्वरुप, स्त्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना;

(ट) **"न्यास"** में कोई विधिक बाध्यता भी सम्मिलित हैं।

**58ग. अवैध रुप से अर्जित संपत्ति के धारण्स का प्रतिषेध--** (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अवैध रुप से अर्जित संपत्ति को धारण करें।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी संपत्ति धारण करेगा, वहां ऐसी संपत्ति, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार को समपहृत होने के लिए दायी होगीः

परन्तु इस अध्याय के अधीन कोई संपत्ति समपहृत नहीं की जाएगी यदि ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे यह अधिनियम लागू होता है, अवैध आखेट और वन्यजीव और उसके उत्पादों के व्यापार से संबंधित किसी अपराध से आरोपित होने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के पूर्व अर्जित की जाती है।

**58घ. सक्षम प्राधिकारी --** राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, मुख्य वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के प्रवर्गों की बाबत जो राज्य सरकार निर्देश दे, इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के एि प्राधिकृत कर सकेगी।

**58ड. अवैध रुप से अर्जित संपत्ति की पहचान--** (1) पुलिस उप महानिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी जिसे यथास्थिज्ञति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रुप से अर्जित संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से अर्जित किसी संपत्ति की खेज करने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

**58ज.संपत्ति के समपहरण की सूचना**-- (1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी धृत किसी संपत्ति, जिसे यह अध्याय लागू होता है, के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 58ड के अधीन या अन्यथा अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट के परिणामस्वरुप उसे उपलब्ण कराई गई किसी अन्य सूचना या सामग्री और उस व्यक्ति की आय के ज्ञात स्त्रोंतों, उपार्जन या आस्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, कि ऐसी सभी या कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित की गई है तो वह उस व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) और उससे सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर हेतुक दर्शित करने के लिए कहेगा कि, यथास्थिति, ऐसी सभी या कोई संपत्ति, अवैध रुप से अर्जित संपत्ति घोषित और इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को समपहृत क्यों न कर दी जाए और कि वह अपने मामले कम समर्थन में अपनी आय, उपार्जनों या आस्तियों के स्त्रोतों इंगित करे या जिनके साधन से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है और वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत सूचन और विशिष्टयां दे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के निमित्त धारित किया जाना विनिर्दिष्ट है, वहां इस सूचना की एक प्रति उस अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी।

**58झ. कतिपय दशाओं में संपत्ति का समपहरण--** (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 58ज के अधीन जारी की गइ कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, और अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात था प्रभावित व्यक्ति को उसे देने के पश्चात और ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति, सूचना मेंे विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा अना निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति है या नहीं ।

परन्तु यदि प्रभावित व्यक्ति और ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अनय व्यक्ति के माध्यम से धारण करता हो, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता या कारण बताओं सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर अपना पक्ष कथन प्रस्तुत नहीं करता है वहां सक्षम प्राधिकारी, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधर पर एक पक्षीय रुप से इस उपधारा क अधीन अपना निष्कर्ष लेखबद्ध करने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कारण बताओं सूचना में निर्दिष्ट कुछ संपत्तियां अवैध रुप से अर्जित संपत्तियां हैं किन्तु विनिर्दिष्टितः ऐसी संपत्तियों की पहचान करने में समर्थ न हो, वहां सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन संपत्तियों को विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अवैध रुप से अर्जित संपत्तियां हैं और नब्बे दिन की अवधिके भीतर उपधारा (1) के अधीन तदनुसार निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष लेखबद्ध करता है कि कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति है तो वह घोषित करेगा कि ऐसी संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी विज्जंगमनों से रहित राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(4) यदि प्रभावित व्यक्ति यह स्थापित कर लेता है कि धारा 58ज के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति नहीं है और इसलिए इस अधिनियम के अधीन समपहृत किए जाने के लिए दायी नहीं है तो उक्त सूचना वपस ले ली जाएगी और संपत्ति की तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

(5) जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को समपहृत हो जाते हैं वहां कंपनी, कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रुप में तुरंत रजिस्टर रकेगी।

**58ञ. सबूत का भार--**इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, धारा 58ज के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति अवैण रुप से अर्जित नहीं है, साबित करने का भार प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

**58ट. समपहरण के बदले जुर्माना--** जो सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 58झ के अधीन राज्य सरकार को समपहृत हो गई है और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अवैध रुप से अर्जित संपत्ति के केवल एक भाग का स्त्रोत सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रुप से साबित नहीं किया गया है तो वह, प्रभावित व्यक्ति को, समपहरण के बदले, उस भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए, आदेश करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का इस निमित अनुज्ञात समय के भीतर संदाय कर देता है, वहां समख प्राधिकारी, धारा 58झ के अधीन समपहरण की घोषणा, आदेश द्वारा वापस ले लेगा और तत्पश्चात ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी।

**58ठ. कतिपय न्यास संपत्तियों के संबंध में प्रक्रिया--** यदि सक्षम प्राधिकारी के पास धारा 58ख के खण्ड (ख) के उपखण्ड (vi) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, उसे उपलब्ध जानकारी और सामग्री के आधार पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणें से, यह विश्वास करने का कारण है कि न्यास में धृत कोई संपत्ति अवैध रुप से अर्जित संपत्ति है, तो वह यथास्थिति, न्यासकर्ता या उन आस्तियों के अभिदायकर्ता, जिनसे या जिनके साधनों से, न्यास द्वारा ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी और न्यासियों पर एक सूचना की तामील करेगा और सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उनसे उस धन या अन्य आस्तियों के स्त्रोंत की व्याख्या करने के लिए कहेगा जिनसे या जिनके साधनों से, यथास्थिति, ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी या ऐसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए न्यास में अभिदाय किए गए धन या अन्य आस्तियों के स्त्रोत की व्याख्या करे और तत्पश्चात ऐसी सूचना धारा 58ज के अधीन तामील की गई सूचना समझी जाएगी और इस अध्याय क अन्य भी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

**स्पष्टीकरण --** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यास में धृत किसी संपत्ति के संबंध में **"अवैध रुप से अर्जित संपत्ति"** में निम्नलिखित सम्मिलित होगा --

(i) ऐसी संपत्ति जो यदि न्यासकर्ता या न्यास में ऐसी संपत्ति के अभिदायक द्वारा धारित की जाती है तो वह ऐसे न्यासकर्ता या अभिदायक के संबंध में अवैध रुप से अर्जित संपत्ति होती;

(ii) ऐसी संपत्ति जो न्यास द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अभिदाय से अर्जित की गई है जो ऐसे व्यक्ति के संबंध में अवैध रुप से अर्जित की गई है जो ऐसे व्यक्ति के संबंध में अवैध रुप से अर्जित होती है यदि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी संपत्ति ऐसे अभिदायों से अर्जित की होती।

**58भ. कतिपय अंतरणों का अकृत और शून्य होना--** धझारा 58च की उपधारा (1) के अधीन किसी ओदश के किए जाने या धारा 58ज या 58ठ के अधीन किसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति, किसी भी एंग से अंतरित की जाती है तो ऐसे अंतरण पर इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात धारा 58झ के अधीन राज्य सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत या शून्य समझा जाएगा।

**58ढ. अपील प्राधिकरण का गठन--**(1) राज्य सरकार, धारा 58च, धारा 58झ, धारा 58ट की उपधारा (1) या धारा 58ठ के अधीन किए गए आदेशें के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समपहृत संपत्ति के लिए अपील प्राधिकरण नामक एक अपील प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, और जो राज्य सरकार के प्रधान सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी होंगे।

(2) अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसर व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्जित है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

**58ण. अपीलें--** (1) सक्षम प्राधिकारी के धारा 58च, धारा 58झ, धारा 58ट की उपधारा (1) या धारा 58ठ के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर जिसको इस आदेश की उस पर तामील की जाती है, अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकरण, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात किन्तु पूर्वोक्त तारीख से साठ दिन के अपश्चात कोई अपील ग्रहण कर सकगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणवश निवारित हुआ था।

(2) अपील प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यदि वह ऐस वांछा करे और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(3) अपील प्राधिकरण  अपनी प्रक्रिया का विनियमन कर सकेगा।

(4) अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण को आवेदन किए जाने पर और विहित फीस के संदाय पर किसी अपील के पखकार को या ऐसे पक्षकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत्त किसी व्यक्ति को, कार्यालय समय के दौरान किसी समय, अपील प्राधिकरण के सुसंगत अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण करने के लिए और उसकी या उसके किसी भाग की प्रमाधित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

**58त. सूचना या आदेश का वर्णन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य न होना--** इस अध्याय के अधीन जारी की गई या तामी की गई सूचना, की गई घोषणा और पारित कोई आदेश, संपत्ति के वर्णन या उसमें वर्णित व्यक्ति के संबंध में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं सझा जाण्गा यदि वह संपत्ति या वयक्ति इस प्रकार वर्णित से पहचाना जा सके।

**58थ. अधिकारिता का वर्जन--** इस अध्याय के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कोई घोषणा उसमें यथा उपबंधित के सिवाय अपीलनीय नहीं होती और किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले की बावत अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में इस अध्याय द्वारा या के अधीन अपील अधिकरण या किसी सक्षम प्राधिकारी को अवधारण करने के लिए सशक्त बनाया गया है और इस अध्याय द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बावत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

**58द. सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना--** सक्षम प्रधिकारी और अपील अधिकरण के पास निम्नलिखित विषयों की बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसक परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए ाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

**58ध. सक्षम प्राधिकारी को सूचना--** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसे वयक्तियों, मुद्दों या विषयों के संबंध में जो सक्षम प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लाभादायक या सुसंगत होंगे, जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) धारा 58न में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, अपने पास उपलब्ध किसी जानकारी को स्वप्रेरणा से सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा यदि अधिकारी की राय में ऐसी जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए उपयोगी होगी।

**58न. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की सहायता करना--** इस अध्याय के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारी, धारा 58द के अधीन नियुक्त केए गए प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण को यथावश्यक सहायता देगा, अर्थात:-

(क) पुलिस अधिकारी;

(ख) राज्य वन विभागों के अधिकारी;

(ग) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के अधिकारी;

(घ) राजस्व आसूचना निदेशाल के अधिकारी;

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**58प. कब्जा लेने की शक्ति--** (1) जहां इस अध्याय के अधीन कोई संपत्ति राज्य सरकार को समपहृत की जाने वाली घोषित की गई है या जहां प्रभावित व्यक्ति, धारा 58ट की उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का संदाय उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर करने में असफल रहता है वहां, सक्षम प्राधिकारी, प्रभावित व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसके कब्जे में उक्त संपत्ति है, उसका कब्जा धारा 58छ के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक को या इस निमित उसके द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति का उक्त आदेश की तामील के 30 दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो प्रशासक, उक्त संपत्ति का कब्जा ले सकता न और उक्त प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

(3) उपधारा (2) में अंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजनार्थ, अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की उपेक्षा कर सकेगा और उस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का पालन करे।

**58फ. त्रुटियों की परिशुद्धि--** अभिलेख से प्रकट किसी त्रुटि की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण, अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को, आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगाः

परन्तु ऐसा किसी संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और वह लेखन की प्रकृति की त्रुटि नहीं है तो संशोधन, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

**58ब. इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के लिए अन्य विधियों के अधीन निष्कर्ष का निर्णायक न होना--** किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कोई निष्कर्ष इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए निर्णायक नहीं होगा।

**58भ. सूचना और आदेशों की तामील--** इस अध्याय के अधीन जारी की गई सूचना या किए गए आदेश की तामील--

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिए वह आशयित है या उसके अभिकर्ता को सूचना या आदेश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारस, भेजकर की जाएगी;

(ख) यदि सूचना या आदेश, खण्ड (क) में उपबंधित रीति से तामील न किया जा सके तो उस संपत्ति, जिसके संबंध में सूचना जारी की गई है या आदेश किया गया है, किसी

सहज दृश्य स्थान पर या उस परिसर, जो उस व्यक्ति, जिसके लिए यह आशयित है, के अन्तिम निवास के रुप में ज्ञात है या जहां उसने अपना कारबार किया है या वैयक्तिक रुप से अभिलाभ के लिए कार्य किया है, के किसी सहज दृश्य भाग में चिपका कर की जाएगी।

**58म. ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए दण्ड जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं--** ऐसा कोई व्यक्ति जो जानबूझकर, किसी भी ढंग से, ऐसी कोई संपत्ति अर्जित करता है जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां लंबित है, ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगा।